(78)

प्रारुप–31

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क0सं0	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे0 में)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे0 में)	वन पंचायत भूमि (हे0 में)	संरक्षित वन (हे0 में)	कुल वन भूमि (हे0 में)	नाप भूमि (हे0 में)	कुल योग (हे0 में)
				–लागू नहीं–				

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

तहसीलदार
पुरोला

वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जि0 उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला

(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रारुप–32

परियोजना का नाम :– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली** गांव **तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

– लागू नहीं –

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रारुप—33

परियोजना का नाम :— **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव—पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली** गांव **तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

भू—वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू—वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

आख्या संलग्न की गयी है।

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

(10) (81)

कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

पत्रांक 71/ यू–5/ गढ़वाल/ 2010 दिनांक 12.9.2010

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–थल्ली–चमरौटा मोटर मार्ग के 10.00 कि0मी0 सड़क संरेखण की भू–भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–थल्ली–चमरौटा मोटर मार्ग के 10.00 कि0मी0सड़क संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी0–71/ सड़क संरेखण /गढ़वाल/ 2010 की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

12.9.2010

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियंता,स्तर–1
लो0नि0विभाग,देहरादून

पत्रांक 71/ यू–5/गढ़वाल/ 2010/ तददिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0 टिहरी गढ़वाल को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
2. भूवैज्ञानिक लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भू–वैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियंता,स्तर–1
लो0नि0विभाग,देहरादून

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
सि0ख0,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–थल्ली–चमरौटा मोटर मार्ग के 10.00 कि0मी0 सड़क संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।

1– प्रस्तावना:–

जनपद उत्तरकाशी में सिचांई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तगर्त नौगॉव–थल्ली–चमरौटा मोटर मार्ग के 10.00 कि0मी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.8.2010 को श्री ए0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ट अभियन्ता सिचांई खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु सुझाव दिया जा सकें।

2–स्थिति:–

1– यह सड़क संरेखण नौगॉव–पूरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से प्रारम्भ होती है।

2– भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार थल्ली गॉव.......................... अक्षांश तथा.... देशान्तर पर स्थित है।

3– भूगर्भीय स्थिति:–

यह सड़क संरेखन कुमायूँ से लेसर हिमालय के रौतगारा वर्ग के लाईम स्टोन फॉरमेशन में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में मटमैले मिटट्टी के रंग की महीन एव मोटे पर्त वाली लाईमस्टोन चटटाने स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण क्षेत्र में तीन प्रकार के ज्वाईन्ट से पूर्ण, पुर्वोत्तर दिशा के झुकाव से साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। चट्टानों के ऊपर डेब्रिस एवं मिटटी की परत विद्यमान है। चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत है—

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
सि0ख0,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

1—	130 — 310	/ पूर्वोत्तर	/ 45^0	नति
2—	130 — 310	/ पूर्वोत्तर	/ 45^0	नति
3—	130 — 310	/ पूर्वोत्तर	/ 45^0	नति
4—	30 — 210	/ दक्षिणपूर्व	/ 65^0	ज्वाइंट
5—	30 — 210	/ दक्षिणपूर्व	/ 65^0	ज्वाइंट
6—	30 — 210	/ दक्षिणपूर्व	/ 65^0	ज्वाइंट
7—	120 — 300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 71^0	ज्वाइंट
8—	120 — 300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 71^0	ज्वाइंट
9—	120 — 300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 71^0	ज्वाइंट

इस स्थल क्षेत्र में भू–गर्भीय टेक्टोनिक कम निम्नवत है।

घास आदि

मिट्टी की महीन परत

डेब्रिस

लाईमस्टोन

लाईमस्टोन

लाईमस्टोन

4–स्थल वर्णन :–

यह संरेखण जनपद उत्तरकाशी में नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से प्रारम्भ होकर लम्बाई में चमरौटा गॉव के बीच में फैला हुआ है। यह संरेखण उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर पश्चिमात्तर दिशा को 500 मी दक्षिण पश्चिम दिशा के पहाडी ढलान के साथ जाता है उसके बाद संरेखण पूर्वात्तर दिशा को दक्षिणपूर्व दिशा की पहाडी ढलान के साथ जाता है। कि0मी0 के 500 मी0 पर कमल नदी को पार करता है। उसके बाद संरेखण कि0मी0 2 –3 में दक्षिणपूर्वदिशा के पहाडी ढलान के साथ जाता है। कि0मी0 4 –5 एवं 6– 7 –10 तक का

Photo copy att

Assistant Engineer
P.M.G.S. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

पहाडी ढलान दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। इस संरेखण के कि0मी0 10 में थल्ली गाँव एवं प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है।

इस मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु दो संरेखण स्थल देखे गये। प्रथम संरेखण स्थल भूगर्भीय एव पर्यावरीणय दृष्टि कोण से स्थाईत्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है । द्वितीय संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरीणय दृष्टि कोण से स्थाईत्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है ।

5– स्थायित्व का विचारः–

इस सड़क संरेखण की स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस स्थल क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना अवश्यक हैः–

(1) यह पर्वतीय क्षेत्र में है ।

(2) यह भूकम्पीय क्षेत्र में है ।

(3) पर्यावरण पर ध्यान दिया जाय ।

(4) पहाडी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है।

(5) कि0मी0 1 में संरेखण को कमल नदी पार करती है ।

(6) इस संमरेखन में कोई भू--संखलन क्षेत्र नही है।

(7) इस समरेखन में कई सूखे नाले हैं ।

(8) इस समरेखण में मिटटी के नीचे चटटाने हैं।

(9) इसमें कई ग्राम है ।

(10) इसमें एक प्राईमरी पाठशाला है ।

6– सुझावः–

इस संरेखण की स्थल की स्थल संरचना व वनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय परिस्थतियों आदि को देखते हुए इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैः–

(1) पहाडी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

(2) पहाडी की बनावट के अनुसार ही ब्रेस्ट /रिटेनिंग वाल का निमार्ण किया जाय।

(3) सूखे नालों पर स्कपर /डबल/स्कपर /कल्वर्ट /कॉजवे का निमार्ण बनाया जाय।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
सि0ख0,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

(4) मिटटी वाले /डेब्रिस वाले भाग में मार्ग निमार्ण करते समय मार्ग के बाहय भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।

(5) पर्यावरण को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निमार्ण किया जाय।

(6) कि0मी0 1 में कमल नदी के ऊपर 45 मी0 के विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।

(7) ग्राम वाले भाग में विस्फोट सामग्री का उपयोग न किया जाय ।

(8) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गो के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।

(9) भूकम्पीय मानक के अनुसार उपाय किये जाये।

(10) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग आवश्यक हो किए जाए।

7—निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस स्थल पर पुल निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है ।

26.10.2010
विजय डंगवाल
वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो0नि0वि0, देहरादून

12.9.2010
(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियंता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग ,देहरादून

Photo copy attested
सहायक अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

Name of Work - Const. of Naugaon to Thali Motor Road L=15 (86)

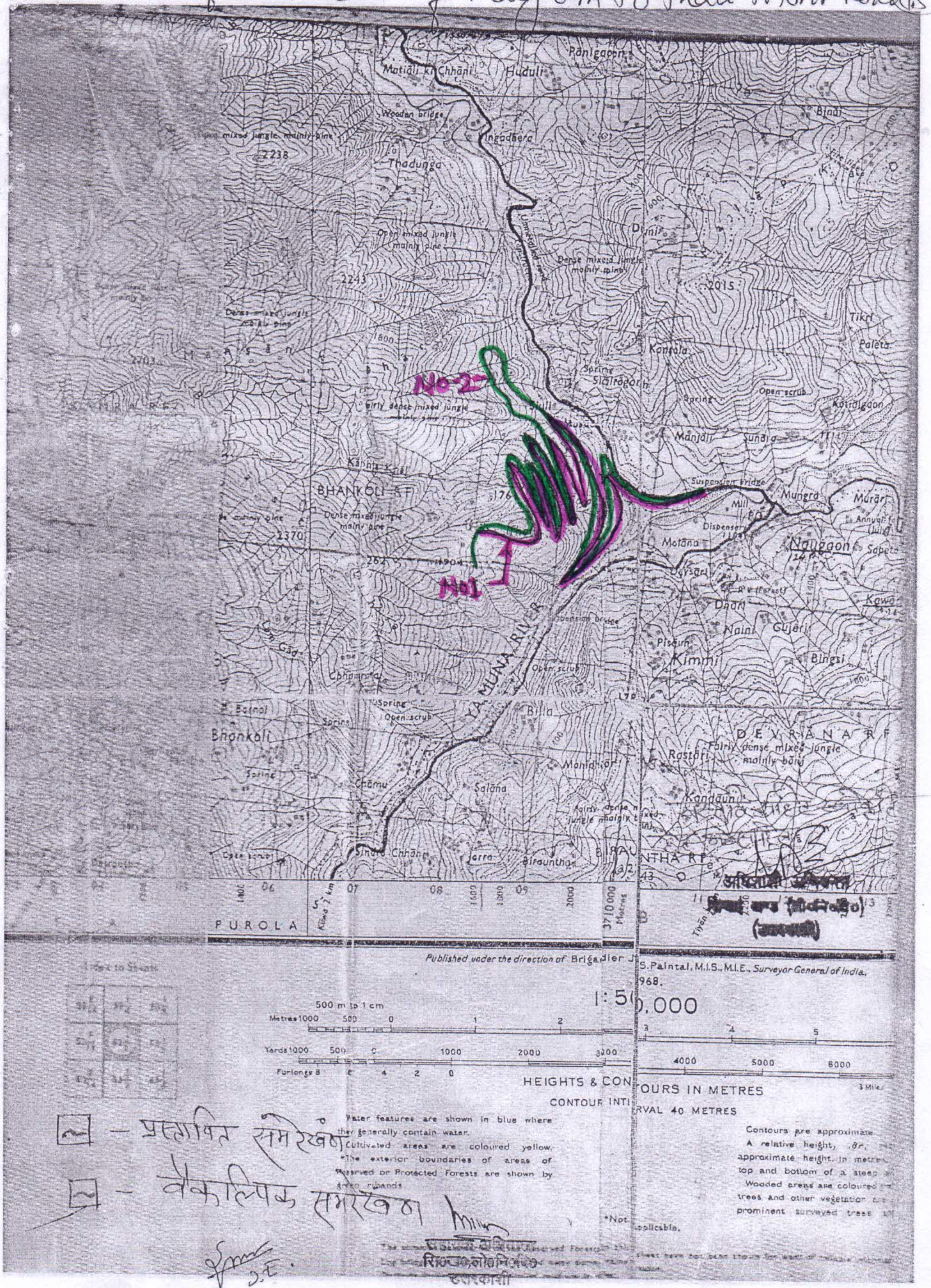

[symbol] - प्रस्तावित संरेखण

[symbol] - वैकल्पिक संरेखण

J.E.

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
(उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
सिं०ख०(पी०एम०जी०एस०वाई०)
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

87

प्रारुप–34

परियोजना का नाम :– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली** गांव **तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रारुप–35

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रारुप–36

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रारुप–37

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

तहसीलदार
पुरोला

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जि० उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रारुप–38

परियोजना का नाम :– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली** गांव **तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रारुप–39

परियोजना का नाम :– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली** गांव **तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रारुप–40

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	थली	130	535
	योगः–	130	535

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रारुप–41

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 60,000=00 प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 11.6735 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये 7,00,410=00 होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का ....x........ प्रतिशत की दर से रूपये ....x........ प्रतिवर्ष होता है।

ह0/–
जिलाधिकारी

R Kumar JE

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

तहसीलदार
पुरोला।

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जिला• उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी